**Office of the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division Ramnagar, Varanasi**

Letter No. 3376 / 10 Dated: March 28, 2023

To,

**The Registrar General,**
**Hon'ble National Green Tribunal,**
**Principal Bench,**
**Faridkot House, Copernicus Marg,**
**New Delhi- 110001**

**Sub:** **Regarding submission Of Action Taken Report in compliance of the order dated03.03.2023 in OA No. 698/2022, in the matter of Dharmendra Kumar Singh Vs. State of U.P & Ors.**

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. In compliance of the order dated 03.03.2023 in OA No. 698/2022, in the matter of Dharmendra Kumar Singh Vs. State of U.P & Ors. The action taken report of the joint committee are enclosed herewith for your kind pursual and further necessary action.

**Enclosures: As above**

Sincerely Yours,

28/03/2023

**(Dinesh Singh)**
Divisional Forest Officer,
Kashi Wildlife Division,
Ramnagar, Varanasi.

**Copy to: Following for information and further necessary action.**

Shri Pradeep MishraAdvocate, Supreme Court, B-235, Sector- XIX, Noida, District- G B Nagar, 201301

**(Dinesh Singh)**
Divisional Forest Officer,
Kashi Wildlife Division,
Ramnagar, Varanasi.

# "Report"

## Placed Before Hon'ble National Green Tribunal (NGT) New Delhi

## O.A. No. 698/2022

## In the matter of Dharmendra Kumar Singh V/S State of U.P. and Others

1. **Background :-**

**National Green Tribunal (NGT) Order** —

The Hon'ble National Green Tribunal (N.G.T.) has passed order on date 03.03.2023 in matter of O.A. No. 698/2022 Dharmendra Kumar Singh V/s State of U.P. and others. The relevant part of the order is as follows :

**10.** In view thereof the Registrar, Jannayak Chandrashekhar University Ballia Uttar Pradesh is directed not to carry out any further construction on any part of land falling within ESZ area of 1.0 kilometer from the boundary of Jai Prakash Narayan (Surha Tal) Bird Sanctuary Ballia.

**11.** The District Magistrate and the Superintendent of Police Ballia and Divisional Forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi are directed to take all requisite steps to ensure that no further construction takes place on the above said Eco Sensitive Zone.

**12.** The District Magistrate Ballia and the Divisional Forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi are also directed to get the Eco Sensitive Zone area demarcated, identify the encroachments to take appropriate action for removal of encroachments and to get appropriate sign boards fixed at appropriate places that the same is no construction zone and no further construction be raised thereon and submit Action Taken Report in this regard within one month by email at judicial- ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

**13.** List for further consideration on 20.04.2023.

**14.** In the facts and circumstances of the case, we also consider presence of the Registrar Jannayak Chandrashekhar University Ballia Uttar Pradesh and the Divisional Forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi though VC to be essential for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and accordingly, they shall remain present before this Tribunal through VC on the date fixed.

2. **Action Taken :-**

In compliance of the order dated 3rd March 2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, the following actions are taken :-

2.1 In compliance of the instructions given by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi during the hearing dated 3rd March 2023 immediately the Divisional Forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi instructed the Registrar Jananayak Chandrashekhar University Ballia vide his letter no. 3127/31, dated 3rd March 2023 to stop the on-going construction works in the university premises namely- **(1).** Academic building **(2).** Academic block **(3).** Library building **(4).** Commercial building **(5).** 100 bedded hostel and he also visited the spot and stopped the all-on-going construction works. **(Annexure 1)**

2.2 For compliance of the order dated 3rd March 2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi District Magistrate Ballia vide his letter no. 1788/आ0ले0जि0–वन वि0, dated 4th March 2023 instructed Divisional forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi and copied to Superintendent of Police Ballia, Divisional Director Social Forestry Division Ballia, Registrar Jananayak Chandrashekhar University Ballia, Settlement Officer Ballia, Consolidation Officer Ballia and Sub Divisional Magistrate Ballia. **(Annexure 2)**

2.3 District Magistrate Ballia vide his letter no. 1789/आ0ले0जि0–वन वि0, dated 4th March 2023 for the review of compliance of the order dated 3rd March 2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi nominated "Nodal Officers" Mr. Rajesh Kumar, ADM (F/R) at District level and Mr. Prashant Kumar Nayak, SDM Ballia at Tehsil level and instructed them to review and ensure the compliance of the order dated 3rd March 2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi and brief him about the progress of the compliance on every Friday. **(Annexure 3)**

2.4 Divisional Forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi vide his Letter no. 3152/31, dated 06th March 2023 instructed the concerned Forest Range Officer, Turtle Breeding Centre Sarnath, Varanasi to comply the order dated 3rd March 2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal New Delhi. **(Annexure 4)**

2.5 Divisional Forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi vide his Letter no. 3180/31, dated 10th March 2023 requested Divisional Director Social Forestry Division Ballia to ensure the compliance of the order dated 3rd March 2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal New Delhi in the Eco Sensitive

Zone (E.S.Z) of Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary (Surha Tal) which is under the administrative control of Divisional Forest Officer Social Forestry Division Ballia. **(Annexure 5)**

**2.6** Divisional Director Social Forestry Division Ballia vide his letter no. 2047/14-1, dated 10th March 2023 instructed the Forest Range Officers of Ballia, Maniyar, Chhata and Banshdih Range to comply the order dated 3rd March 2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi. **(Annexure 6)**

**2.7** In compliance of Point No 10, 11 and 12 in order dated 3rd March 2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi the Division Forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi and Divisional Director Social Forestry Division Ballia submitted the joint report vide letter no. 3363/37 dated 27th March 2023 of the office of Division Forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi which is attached with the report. **(Annexure 7)**

Above action taken report is submitted to Hon'ble NGT in compliance of order passed on dated 03.03.2023.

**(Raj Karan Nayyar)**
Superintendent of Polilce,
Ballia.

**(Ravindra Kumar)**,
District Magistrate,
Ballia.

27/3/2023
**(Dinesh Singh)**
Divisional Forest Officer,
Kashi Wild Life Division,
Ramnagar, Varanasi.

27.03.2023
**(V.K. Anand)**
Divisional Director,
Social Forestry Division &
Member Secretary, District
Wetland Committee Ballia.

**Annexure-1**

54

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक– /31 दिनांक, चन्दौली, मार्च 03, 2023

सेवा में,

कुलसचिव,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
जनपद बलिया।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली में आयोजित ओ0ए0 संख्या– 698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में दिनांक 03.03.2023 को सुनवायी के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली में आयोजित ओ0ए0 संख्या– 698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा जिलाधिकारी, बलिया एवं प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को दिनांक 03.03.2023 को सुनवाई के दौरान वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में आज दिनांक 03.03.2023 को सुनवायी के दौरान मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि जयप्रकाश नारायण पंक्षी विहार (सुरहाताल) के ईको सेन्सिटिव जोन (ई0एस0जेड0) में निर्माणाधीन समस्त भवन जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | प्रशासनिक भवन, कुल बिल्टअप एरिया | – | 4172 वर्ग मी0 |
| 2– | ऐकेडमिक ब्लाक भवन, कुल बिल्टअप एरिया | – | 6689 वर्ग मी0 |
| 3– | पुस्तकालय भवन, कुल बिल्टअप एरिया | – | 4106 वर्ग मी0 |
| 4– | कामर्शियल भवन, कुल बिल्टअप एरिया | – | 645 वर्ग मी0 |
| 5– | 100 बेड छात्रावास भवन, कुल बिल्टअप एरिया | – | 1563 वर्ग मी0 |
| | | | 1775 वर्ग मी0 |

का निर्माण कार्य तत्काल बन्द करा दिया जाये। उक्त प्रकरण की अगली सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल, 2023 सुनिश्चित हुई है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आप उपरोक्त भवनों के निर्माण का कार्य तत्काल बन्द करा दे, अन्यथा किसी भी विपरीत परिणाम हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

भवदीय

03/03/2023

(दिनेश सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

2/..............

पृ0सं0 3127 /दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिलाधिकारी, बलिया को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा सुनवाई के दौरान दिनांक 03.03.2023 को दिये गये आदेश के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बलिया।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर।

6- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया।

03/03/2023

(दिनेश सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

**Annexure-2**

# कार्यालय जिलाधिकारी,बलिया

पत्र संख्याः 1788 /आ0ले0जि0—वन वि0 दिनांकः मार्च 04 ,2023

विषयः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 के सम्बन्ध में।

प्रभागीय निदेशक,
काशी वन्य जीव प्रभाग,
रामनगर, वाराणसी

उपर्युक्त विषयक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 का अवलोकन करें, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आदेश के प्रस्तर—10, 11, 12 में निम्न आदेश पारित किया गया है:—

10. In view thereof the Registrar, Jannayak Chandrashekhar University, Ballia, Uttar Pradesh is directed not to carry out any further construction on any part of land falling within ESZ area of 1.0 kilometer from the boundary of Jai Prakash Narayan (Surha Tal) Bird Sanctuary, Ballia.

11. The District Magistrate and the Superintendent of Police, Ballia and Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi are directed to take all requisite steps to ensure that no further construction takes place on the above said Eco Sensitive Zone.

12. The District Magistrate, Ballia and the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi are also directed to get the Eco Sensitive Zone area demarcated, identify the encroachments, to take appropriate action for removal of encroachments and to get appropriate sign boards fixed at appropriate places that the same is no construction zone and no further construction be raised thereon and submit Action Taken Report in this regard within one month by email at Judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

कृपया मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित करायें। साथ ही प्रस्तर—12 के अनुसार कार्यवाही करते हुए अपनी आख्या दिनांक 18.03.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

04/3/23
(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
बलिया

संख्या एवं तिथि उपर्युक्त

प्रतिलिपि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 तक प्रति सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया।
3. रजिस्ट्रार, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
4. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बलिया।
5. उप जिलाधिकारी, सदर बलिया।

(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
बलिया

Annexure-3

# कार्यालय जिलाधिकारी,बलिया

पत्र संख्याः 1789 /आ0ले0जि0–वन0वि0 दिनांकः मार्च 04 ,2023

## आदेश

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 03.03.2023 को आदेश पारित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्याः 1788/आ0ले0जि0–वन0वि0 दिनांक 04 मार्च, 20023 द्वारा प्रभागीय निदेशक, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी सहित अन्य को निर्देशित किया गया है।

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.03.2023 का प्रभागीय निदेशक, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया एवं अन्य सम्बन्धित के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर श्री राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी(वि/रा), बलिया एवं तहसील स्तर पर श्री प्रशान्त कुमार नायक, उप जिलाधिकारी, सदर बलिया को "नोडल अधिकारी" नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का सम्बन्धित से अनुपालन की स्थिति की निरन्तर समीक्षा करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायेगें तथा प्रगति से प्रत्येक शुक्रवार अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें।

इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः आदेश दिनांक 03.03.2023 की प्रति।

(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
बलिया

संख्या एवं तिथि उपर्युक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अनुपालन हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
2. प्रभागीय निदेशक, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया।
4. श्री राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी(वि/रा),बलिया।
5. बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बलिया।
6. श्री प्रशान्त कुमार नायक, उप जिलाधिकारी, सदर बलिया।
7. रजिस्ट्रार, जननायक चन्द्रशेखर विश्व विद्यालय, बलिया

04/3/23

(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
बलिया

**Annexure-4**

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी**

पत्रांक : 3152 /31/2022–23, रामनगर, दिनांक, मार्च 06 ,2023

सेवा में,

**क्षेत्रीय वन अधिकारी,**
**कछुआ प्रजनन केन्द्र,**
**सारनाथ, वाराणसी।**

**विषय : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 के सम्बन्ध में।**

**संदर्भ : जिलाधिकारी, बलिया का पत्र संख्या–1788/आ0ले0जि0–वन वि0, दिनांक 04.03.2023**

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(दिनेश सिंह),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

**Annexure-5**

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 3180 / 31 रामनगर, दिनांक, मार्च 10 , 2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
बलिया।

विषय : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर–698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : जिलाधिकारी, बलिया का पत्र संख्या–1788/आ0ले0जि0, वन विभाग, दिनांक 04 मार्च, 2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर–698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 का अवलोकन करें, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आदेश के प्रस्तर–10, 11, 12 में निम्न आदेश पारित किया गया है –

**10.** The view thereof the Registrar, Jannayak Chandrashekhar University, Ballia, Uttar Pradesh is directed not to carry out any further construction on any part of land falling within ESZ area of 1.0 Kilometer from the boundary of Jai Prakash Narayan (Suraha Tal) Bird Sanctuary, Ballia.

**11.** The District Magistrate and the Superintendent of Police, Ballia and Divisional Forest Officer, Kashi Wild Life Division, Ramnagar, Varanasi are directed to take all requisite steps to ensure that no further construction takes place on the above said Eco Sensitive Zone.

**12.** The District Magistrate, Ballia and the Divisional Forest Officer, Kashi Wild Life Division, Ramnagar, Varanasi are also directed to get the Eco Sensitive Zone area demarcated, identify the encroachments, to take appropriate action for removal of encroachments and to get appropriate sign boards fixed at appropriate places that the same is no construction zone and no further construction be raised thereon and submit Action. Taken Report in this regard within one month by email at *Judicial-ngt@gov.in* preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

क्रमशः.........................2

उक्त के क्रम में आप स्वयं विदित हैं कि जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार क्षेत्र के ईको सेन्सिटिव जोन में पड़ने वाले क्षेत्रों पर नियन्त्रण करने की कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, बलिया के नियन्त्रणाधीन है।

अतः आप अपने स्तर से सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी को ईको सेन्सिटिव जोन में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें। क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछुआ प्रोजेक्ट, सारनाथ, काशी वन्य जीव प्रभाग एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में कार्यवाही के साथ–साथ ईको सेन्सिटिव जोन में भी मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 का अनुपालन कराने हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

भवदीय,

(दिनेश सिंह),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक : 3130 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, बलिया।
3. रजिस्टार, जननायक विश्वविद्यालय, बलिया।
4. उपजिलाधिकारी, सदर, बलिया।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछुआ प्रोजेक्ट, सारनाथ, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि आप प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बलिया से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से प्रत्येक शुक्रवार को अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

(दिनेश सिंह),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

O/C

**Annexure-6**

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया

पत्रांक– 2047 / 14-1 दिनांक, बलिया, मार्च 10, 2023

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
बलिया, मनियर,
बांसडीह एवं छाता

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित ओ0ए0संख्या– 698 / 2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2022 ।

सन्दर्भ :– 1– प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी का कार्यालय पत्रांक– 3127 / 31 दिनांक 03.03.2023 एवं 3130 / 31 दिनांक 10.03.2023 ।
2– जिलाधिकारी, बलिया का कार्यालय पत्रांक– 1788 / आ0ले0जि0–वन वि0 दिनांक 04.03.2023 ।
3– जिलाधिकारी, बलिया का कार्यालय पत्रांक– 1789 / आ0ले0जि0–वन वि0 दिनांक 04.03.2023 ।
4– पुलिस अधीक्षक, बलिया का कार्यालय पत्रांक– एसटी–31 / 2023 दिनांक 06.03.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित ओ0ए0संख्या– 698 / 2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2022 के क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभागर, रामनगर, वाराणसी के कार्यालय पत्रांक– 2700 / 10–1 (एन0जी0टी0) दिनांक 27.01.2023 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित पत्र में दिये गये कि जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन पारिस्थितकीय संवेदी जोन में है, के आधार पर दिये गये अनुपालन आख्या को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक– Hg0015/C-6/Gen-715/O.A. 698/2022/23 दिनांक 28.02.2023 द्वारा रिपोर्ट भेजी गयी थी। दिनांक 03.03.2023 को सुनवाई के दौरान मा0 अधिकरण के न्यायधीशों द्वारा अनुपालन आख्या पर असहमति व्यक्त करते हुए मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के बिन्दु संख्या–10, 11, 12 निम्नानुसार है :–

10. In view thereof the Registrar, Jannayak Chandrashekhar University, Ballia, Uttar Pradesh is directed not to carry out any further construction on any part of land falling within ESZ area of 1.0 kilometer from the boundary of Jai Prakash Naryan (Surhatal) Bird Sanctuary, Ballia.
11. The District Magistrate and the Superintendent of Police, Ballia and Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi are directed to take all requisite steps to ensure that no further construction takes place on the above said Eco Sensitive Zone.
12. The District Magistrate, Ballia and the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi are also directed to get the Eco Sensitive Zone area

demarcated, identify the encroachments, to take appropriate action for removal of encroachments and to get appropriate sign boards fixed at appropriate places that the same is no construction zone and no further construction be raised there on and Submit action taken report in this regard within one month by email at Judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

उक्त के क्रम में आप स्वयं विदित है कि जयप्रकाश नारायण पंक्षी विहार सुरहाताल का ईको सेन्सिटिव जोन पर नियंत्रण बलिया वन प्रभाग का है। अतः आप ईको सेन्सिटिव जोन में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 का सख्ती से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करे। इस सम्बन्ध में काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी से क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछुआ प्रोजेक्ट सारनाथ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ जयप्रकाश नारायण पंक्षी विहार (सुरहाताल) क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में कार्यवाही के साथ–साथ ईको सेन्सिटिव जोन में भी मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 का अनुपालन कराने की कार्यवाही की जा रही है। आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछुआ प्रोजेक्ट, सारनाथ काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 03.03.2023 के अनुपालन कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करे।

(वी0के0आनन्द)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, बलिया

पृ0सं0 २०५७ /दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
2– जिलाधिकारी, बलिया।
3– पुलिस अधीक्षक, बलिया।
4– रजिस्ट्रार, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी।
6– उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलिया।
7– उपजिलाधिकारी, सदर बलिया/बांसडीह।

(वी0के0आनन्द)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, बलिया

olc

**Annexure-7**

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी|

पत्रांक : 3363/37 दिनांक: 27 मार्च 2023

सेवा में,

जिलाधिकारी

बलिया|

**विषय:** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रमुख बेंच, नयी दिल्ली द्वारा O. A No. 698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में|

**सन्दर्भ:** आपके कार्यालय के पत्र संख्या: 1788/ आ०ले०जि०- वन वि० दिनांक 04.03.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा O. A No. 698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 के बिंदु संख्या 10, 11 व 12 का अनुपालन कर आख्या चाही गयी थी| उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त आख्या निम्नवत है:

1. In view thereof the Registrar, Jananayak Chandrashekhar University Ballia Uttar Pradesh is directed not to carry out any further construction on any part of land falling within ESZ area of 1.0 kilometer from the boundary of Jai Prakash Narayan (Surha Tal) Bird Sanctuary Ballia.

उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 3127/31 दिनांक 03.03.2023 द्वारा रजिस्ट्रार, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहाताल) के E.S.Z क्षेत्र में हो रहे समस्त निर्माण को रोकने हेतु निर्देशित किया तथा स्वयं भी प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया के साथ मौके पर जा कर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के हो रहे समस्त कार्यो को रुकवाया गया तथा क्षेत्रीय वनाधिकारी, कछुवा प्रजनन केंद्र, सारनाथ को समय-समय पर निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, मौके पर समस्त निर्माण कार्य बंद है| (फोटोग्राफ संलग्न है)

2. The District Magistrate and the Superintendent of Police Ballia and Divisional Forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi are directed to take all requisite steps to ensure that no further construction takes place on the above said Eco Sensitive Zone.

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहाताल) के ईको सेंसिटिव जोन का क्षेत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया के नियंत्रणाधीन है, उनके द्वारा अवगत कराया गया है की जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहाताल) के इको सेंसिटिव जोन में वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है (पत्र संलग्न है |) साथ ही यह भी अवगत कराना है की काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी द्वारा जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहाताल) के ईको सेंसिटिव जोन की सीमा पर 15 स्थानों पर साईन बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर मा० सर्वोच्च

न्यायालय, नई दिल्ली के रिट याचिका संख्या – 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2022 का उल्लेख करते हुए –

"इको सेंसिटिव जोन (E.S.Z) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र /No Construction Zone" अंकित किया गया है| (फोटोग्राफ संलग्न है |)

साथ ही यह भी अवगत कराना है ही ईको सेंसिटिव जोन(E.S.Z) में कोई नया निर्माण न किये जाने हेतु ग्राम वासियों को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, तथा वन विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा उक्त क्षेत्र की सतत निगरानी की जा रही है|

3. The District Magistrate Ballia and the Divisional Forest Officer Kashi Wildlife Division Ramnagar Varanasi are also directed to get the Eco Sensitive Zone area demarcated, identify the encroachments to take appropriate action for removal of encroachments and to get appropriate sign boards fixed at appropriate places that the same is no construction zone and no further construction be raised thereon..........

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा ईको सेंसिटिव जोन (E.S.Z) का सीमांकन कर 15 जगहों पर बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या – 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2022 का उल्लेख करते हुए –

"ईको सेंसिटिव जोन (E.S.Z) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र / No Construction Zone" अंकित किया गया है|

साथ ही यह अवगत कराना है कि जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहाताल) का कुल क्षेत्रफल 3432.93 हे० (34.329 वर्ग कि०मी०) है, जो कि कुल 44 विभिन्न ग्रामो में स्थित है| जिसमे 3300.15 हे० भूमि निजी काश्तकारो की तथा शेष 132.78 हे० ग्राम समाज की भूमि है| साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि ईको सेंसिटिव जोन (E.S.Z) का कुल क्षेत्रफल 27 वर्ग कि०मी० है जो की पूर्णतया निजी काश्तकारो की भूमि है| जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहाताल) क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा-21 के उद्घोषणा के उपरांत वन बंदोबस्त अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बांसडीह द्वारा बंदोबस्त की कार्यवाही की जा रही है, जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहाताल) का भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा-26ए के अंतर्गत अंतिम उद्घोषणा अपेक्षित है तथा किसी भी काश्तकार को सरकार के तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया है|

अतः अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है|

(वी० के० आनंद)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बलिया

(दिनेश सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर, वाराणसी

**Annexure-7-1**

LIBRARY
S+1
Mar 24,2023 03:55:52 PM

Mar 24,2023 04:11:14 PM

Mar 24,2023 04:05:53 PM

COMMERCIAL
BUILDING-G
AREA 645.49 SQM
Mar 24,2023 04:20:14 PM

Mar 24,2023 04:24:12 PM

आवश्यक सूचना
मा: सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-202/1995
में जारी आदेश दिनांक- 03-06-2022 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित
किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय भारत
सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1315 (अ) दिनांक - 08-03-2019
द्वारा जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की सीमा से-
1.00 कि.मी. की परिधि में आने वाली सम्पूर्ण ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.)
क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है।
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)
जिलाधिकारी-बलिया

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण
(Construction Prohibi

"आवश्यक सूचना"
मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-202/1995 मे जारी आदेश दिनांक 03.06.2022 के क्रम मे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या -का0आ0 1315(अ), दिनांक 08.03.2019 द्वारा जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल), पक्षी विहार की सीमा से 1.00 किमी0 की परिधि मे आने वाले सम्पूर्ण ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) क्षेत्र मे कोई भी नया निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है।
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बलिया।
प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी।
आज्ञा से, जिलाधिकारी, बलिया

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)
KNOWLEDGE
CENTRAL ACADEMY
ADMISSION
CBSE &
UP Board

"आवश्यक सूचना"
ईको सेन्सिटिव जोन (E.S.Z.) निर्माण निषिद्ध क्षेत्र
(Construction Prohibited)

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया

(Email ID- dfoballia@gmail.com, dfoballia@yahoo.com)

पत्रांक–2197 /14–1 दिनांक, बलिया, मार्च, 27 , 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्यजीव प्रभाग,
रामनगर, वाराणसी

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 698 / 2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023

सन्दर्भ :– 1– आपका कार्यालय पत्रांक– 3127 / 31 दिनांक 03.03.2023 ।
2– आपका कार्यालय पत्रांक– 3130 / 31 दिनांक 10.03.2023 ।
3– जिलाधिकारी, बलिया का कार्यालय पत्रांक– 1788 / आ0ले0जि0–वन वि0 दिनांक 04.03.2023 ।
4– जिलाधिकारी, बलिया का कार्यालय पत्रांक– 1789 / आ0ले0जि0–वन वि0 दिनांक 04.03.2023 ।
5– पुलिस अधीक्षक, बलिया का कार्यालय पत्रांक– एस0टी0–31 / 2023 दिनांक 06.03.2023 ।
6– इस कार्यालय का पत्रांक– 2147 / 14–1 दिनांक 22.03.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या– 698 / 2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 को सुनवाई के दौरान मा0 अधिकरण के न्यायधीशों द्वारा प्रेषित की गयी अनुपालन आख्या पर असहमति व्यक्त करते हुए मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के बिन्दु संख्या 12 – .

12. The District Magistrate. Ballia and the Divisional Forest Officer. Kashi Wildlife Division Ramnagar. Varanasi are also directed to get the Eco Sensitive Zone area demarcated, identify the encroachments, to take appropriate action for removal of encroachments and to get appropriate sign boards fixed at appropriate places that the same is no construction zone and no further construction be raised there on and Submit action taken report in this regard within one month by email at Judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

इस सम्बन्ध में आपके निर्देशानुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछुआ प्रोजेक्ट, सारनाथ वाराणसी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ जयप्रकाश नारायण पंक्षी विहार (सुरहाताल) क्षेत्र के सीमांकन के साथ–साथ ईको सेन्सिटिव जोन के भी सीमांकन किये जाने के सम्बन्ध में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 की अनुपालन कराने की कार्यवाही की गयी है। सर्वे एवं सीमांकन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग–3 संख्या– 1088 (1)/ 14–3–19 / 89 दिनांक 27.03.1991 में वर्णित सीमा एवं भारत सरकार का राजपत्र का0आ0–1315 (अ) दिनांक

08.03.2019 में दिये गये सीमा विवरण के अनुसार की गयी है। परन्तु जयप्रकाश नारायण पंक्षी विहार (सुरहाताल) की सीमा को और स्पष्ट करने हेतु पक्षी विहार के सीमा पर पिलर फिक्सिंग कराना आवश्यक होगा। जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। यह भी अवगत कराना है कि पक्षी विहार के किनारे के कई गांव/गांव की सीमायें ईको सेन्सेटिव जोन में स्थित है। उक्त के क्रम में जयप्रकाश नारायण पंक्षी विहार (सुरहाताल) के किनारे पड़ने वाले 03 रेंज क्रमशः बलिया, मनियर एवं छाता को निर्देशित किया गया कि आप स्वंय सुरहाताल की बाहरी सीमा से 01 किमी0 तक का क्षेत्र जो कि ईको सेन्सिटिव जोन है, का स्थलीय निरीक्षण कर ले यदि कोई नया स्थायी निर्माण पाया जाता है तो सम्बन्धित को नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराये। क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा निरीक्षणोपरान्त अपनी आख्या प्रेषित की गयी है। प्रेषित आख्या के अनुसार जयप्रकाश नारायण पंक्षी विहार (सुरहाताल) के ईको सेन्सिटिव जोन में कोई भी नया स्थायी निर्माण नही हो रहा है। सुलभ सन्दर्भ हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, बलिया, मनियर एवं छाता की आख्या की छायाप्रति संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(वी0के0आनन्द)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, बलिया

पृ0सं0 /दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
2– जिलाधिकारी, बलिया।
3– मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
4– क्षेत्रीय वन अधिकारी, बलिया, छाता एवं मनियर।

(वी0के0आनन्द)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग बलिया